

उप खण्ड अधिकांश (अलवर)

*(Handwritten signature)*

संज्ञान पर हुआ।

हिसा मीना लिखा है, जिसका सर्व प्रथम इन्स वादी को दिनांक 30.08.2014 को  
में कही वादी का नाम नहना लिखा है और कही मीना लिखा है और कही  
में पत्र संलग्न है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि में विवाहित आराजी के कब्जे  
नहना मी कहेते है तथा मीना भी कहेते है। जिसके बारे में सरपंच ग्राम पंचायत  
नाम दर्ज है और वादी का असली नाम साहबदीन पुत्र इमरत खां है। लेकिन  
मी कौचि कार्ड व पहचान पत्र व ड्राइविंग लाइसेंस व राशनकार्ड व आधार कार्ड  
आदी वाद में विवाहित है। वादी का समस्त रिकार्ड में साहबदीन नाम दर्ज है  
299 हैक्टो का 1/4 भाग बाकें ग्राम पाटा तहसील रामगढ जिला अलवर में  
खसरा नम्बर 1232, 1233, 1261, 1262, 1263, 1264, 1274, 1275, 1276 कुल  
29, 124, 1235 कुल कित्ता 5 रकबा 1.85 हैक्टो का 1/3 हिस्सा व खाला सं०  
सं० नम्बर 127 रकबा 0.13 हैक्टो व खाला सं० 241 की आराजी खसरा नम्बर  
सं० नम्बर 1249, 1250, 1259 कुल कित्ता रकबा 1.52 हैक्टो व खाला सं० 240  
06, 1244, 1268 कुल कित्ता 3 रकबा 1.53 हैक्टो व इस्ती प्रकार खाला सं० 520  
प्रत्यत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि खाला सं० 375 की आराजी

निर्णय

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट) प्रतिवादी.....

सकारण एवं तहसीलदार साहब तहसील रामगढ।

बनाम

.....वादी

इस प्रकार इमरत खां जाति भैव निवासी ग्राम पाटा तहसील रामगढ जिला अलवर।

उपरोक्त

गौरीख निर्णय 10.05.2018

गौरीख रज 25.08.2015

श्री बाल केशव निवासी आर. ए. एस.

सर्वेक्षण एवं पट्टेन सहायक कलेक्टर रामगढ (अलवर) के लोक अदालत न्याय आपके द्वार / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत पाटा)

श्रीराम जल

का

पञ्जाबी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिबिर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत पाटा  
 के दिनांक 10.05.2018 का पेश हुई। वादी उपस्थित। वादी को सूना गया। तथा वादी के आई  
 नम्बरों के बयान लिये गये। जो इस प्रकार है कि ग्राम पाटा की जमाबन्दी सम्वत 2068-71 के  
 खत सं 52 में मेरे आई का नाम मीना पुत्र इमरत खां व खाता सं 240 में आराजी खसरा  
 नम्बर 1237 में साहबुदीन उर्फ नहना पुत्र इमरत व खाता सं 241 व 72 मीना पुत्र इमरत,  
 खत सं 520 में साहबुदीन उर्फ नहना पुत्र इमरत दर्ज है। साहबुदीन, नहना, मीना तीनों एक  
 ही व्यक्ति के नाम है जो मेरा सगा आई है उक्त व्यक्तियों को तीनों ही नामों से जाना जाता है।  
 यह उक्त रिकार्ड में उक्त मेरे आई का नाम साहबुदीन पुत्र इमरत किया जाता है तो किसी को

वादी का बाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादी को जय सम्मन तलब किया गया।  
 प्रतिवादी को और से न्यायालय में उपस्थित होकर दावे का जवाब प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है  
 वादी विभिन्न खातों में दर्ज नाम मीना, नहना पुत्र इमरत खां के स्थान पर साहबुदीन पुत्र  
 इमरत खां उक्त कराना चाहता है। साहबुदीन के बजाय मीना व नहना किस आधार पर दर्ज है  
 कर्तव्य संलग्न नहीं है। बोटर कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि में  
 साहबुदीन नाम है, सरपंच का प्रमाण पत्र भी संलग्न है। वादी के आई के बयानों से स्पष्टि के  
 बाद नाम उक्त किया जाना उचित होगा।

तः दावा पेश कर निवेदन है कि इसी इस्तकयारहक व दुरुस्ती इन्द्रजल बहक वादी  
 प्रतिवादी सादिर फरमाई जाकर यह करार दिया जावे कि विवाहित आराजी खाता सं 520  
 आराजी खसरा नम्बर 1206, 1244, 1268 कुल कित्ता 3 रकबा 1.53 हैक्ट व इसी प्रकार  
 सं 520 की आराजी खसरा नम्बर 1249, 1250, 1259 कुल कित्ता रकबा 1.52 हैक्ट व  
 सं 240 की आराजी खसरा नम्बर 127 रकबा 0.13 हैक्ट व खाता सं 241 की आराजी  
 नम्बर 1227, 1228, 1229, 124, 1235 कुल कित्ता 5 रकबा 1.85 हैक्ट का 1/3 हिस्सा  
 सं 52 की आराजी खसरा नम्बर 1232, 1233, 1261, 1262, 1263, 1264, 1274, 1275,  
 कुल कित्ता 9 रकबा 2.99 हैक्ट का 1/4 भाग वाके ग्राम पाटा तहसील रामगढ जिला  
 में वादी के नाम साहबुदीन के बजाय जो नहना व मीना का इन्द्रजल हो रहा है उसे  
 जय कर साहबुदीन पुत्र इमरत खां के नाम का इन्द्रजल कानाजातमाल जमाबन्दी आदि में

उपलब्ध ऑडिट किए गए  
 (2019-20) रासायनिक  
 (2019-20) रासायनिक

निर्णय में द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत पाटा में सुनाया  
 न होकर दाखिल दफतर हो।  
 इसी प्रकार पचास हिस्से बनी जावे। पञ्चवली फौजल श्रमण होकर बाद तकमील नम्बर से  
 सातदार रासायनिक को आदेशित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती की  
 जावे। ग्राम के नाम का इन्द्रजल कानजातमान जमाबन्दी आदि में करने बाबत  
 के बजाये जो नहना व मीना का इन्द्रजल हो रहा है उसे कलमजान कर सही नाम  
 का 1/4 भाग वाकें ग्राम पाटा तहसील रासायनिक जिला अजमेर में वादी के नाम  
 का 1/3 हिस्सा व खाला सं० 52 की  
 1229, 124, 1235 कुल कितना 5 रकबा 1.85 हैक्टो का  
 का 1/3 हिस्सा व खाला सं० 241 की आराजी खसरा नम्बर 1227,  
 का 1/3 हिस्सा व खाला सं० 240 की  
 1250, 1249, 1259 कुल कितना 3 रकबा 1.52 हैक्टो व खाला सं० 240 की  
 1206, 1244, 1268 कुल कितना 3 रकबा 1.53 हैक्टो व इसी प्रकार खाला सं० 520 की  
 किया जाकर इस प्रकार हिस्से किया जाता है कि खाला सं० 375 की आराजी खसरा  
 वादी का बाद संलग्न दर्तावेजात एवं वादी के भाई द्वारा दिये गये बयानों के आधार पर  
 वादी के बयानों के आधार पर सही नाम की दुरुस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।  
 पञ्चवली का अवलोकन किया। पञ्चवली में उपलब्ध दर्तावेजी साक्ष्य एवं वादी के भाई  
 खालाक आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।

उपखण्ड अधिकारी  
श्री बाल कृष्ण निवाडी आर. ए. एस.  
(आरटीएक्ट)

AM

यहाँ हिक्की आज दिनांक 10.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

वर्षा हिक्की आर. ए. एस. द्वारा तैयार की गई है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुकानों की  
संख्या 299 हैक्ट 0 का 1/4 भाग बाकें ग्राम पाटा तहसील रामगढ जिला अलवर में बादी के  
खसरा नम्बर 1232, 1233, 1261, 1262, 1263, 1264, 1274, 1275, 1276 कुल कित्ता 9  
1229, 124, 1235 कुल कित्ता 5 रकबा 1.85 हैक्ट 0 का 1/3 हिस्सा व खाला सं० 52 की  
खसरा नम्बर 127 रकबा 0.13 हैक्ट 0 व खाला सं० 241 की आराजी खसरा नम्बर 1227,  
खसरा नम्बर 1249, 1250, 1259 कुल कित्ता रकबा 1.52 हैक्ट 0 व खाला सं० 240 की  
खसरा नम्बर 1206, 1244, 1268 कुल कित्ता 3 रकबा 1.53 हैक्ट 0 व इस्ती प्रकार खाला सं० 520 की  
खसरा नम्बर 375 की आराजी खसरा नम्बर 375 की आराजी खसरा नम्बर 375 की आराजी खसरा  
बादी का बाद संलग्न दरखावाजाल एवं बादी के भाई द्वारा दिये गये बयानों के आधार पर

पर्वा हिक्की

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

..... प्रतिवादी

राजस्थान सरकार जय तहसीलदार साहब तहसील रामगढ।

बनाम

..... बादी

1. साहबदीन पुत्र इमरत खां जालि सेव निवासी ग्राम पाटा तह० रामगढ जिला अलवर।

उत्पान

10.05.2018

गौरीख निर्णय

25.08.2015

गौरीख रज

न अधिकारी :- श्री बाल कृष्ण निवाडी आर. ए. एस.

न अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वारा / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत पाटा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ (अलवर)